उल्टा पड़ गया राशन कार्ड पर यूपी सरकार का दांव

प्रत्यक्ष मिश्रा

देश में जहां ज्ञानवापी मन्दिर और कुतुबमीनार को लेकर हो हल्ला मचा है वहीं यूपी में राशनकार्ड की पात्रता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। यूपी सरकार के नए राशनकार्ड नियमों की चारों तरफ आलोचना की जा रही है। इस बीच यूपी सरकार ने रविवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा उनके निरस्तीकरण के संबध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। राज्य के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू का कहना है कि "प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है।" इसके साथ ना ही उनके निरस्तीकरण की बात कही गई। उनका कहना है राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय-समय पर चलती रहती है। प्रदेश में 8 साल पुराने नियम ही लागू हैं।

एक नोटिस के माध्यम से वायरल खबरों का खंडन करते हुए इसकी जानकारी खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू ने दी। उन्होंने लिखा - वर्तमान में राशनकार्ड सत्यापन / निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे एवम् भ्रामक खबरें प्रकाशित / प्रसारित की जा रही हैं, जो कि आधारहीन एवम् सत्य से परे हैं। प्रकरण में सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 में विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं। उक्त मानकों का पुनर्निर्धारण वर्तमान में नहीं किया गया है तथा पात्रता/अपात्रता की कोई नवीन शर्त नहीं निर्धारित की गयी है। यह भी स्पष्ट करना है कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गौ पालन, ट्रैक्टर ट्राली स्वामी होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया

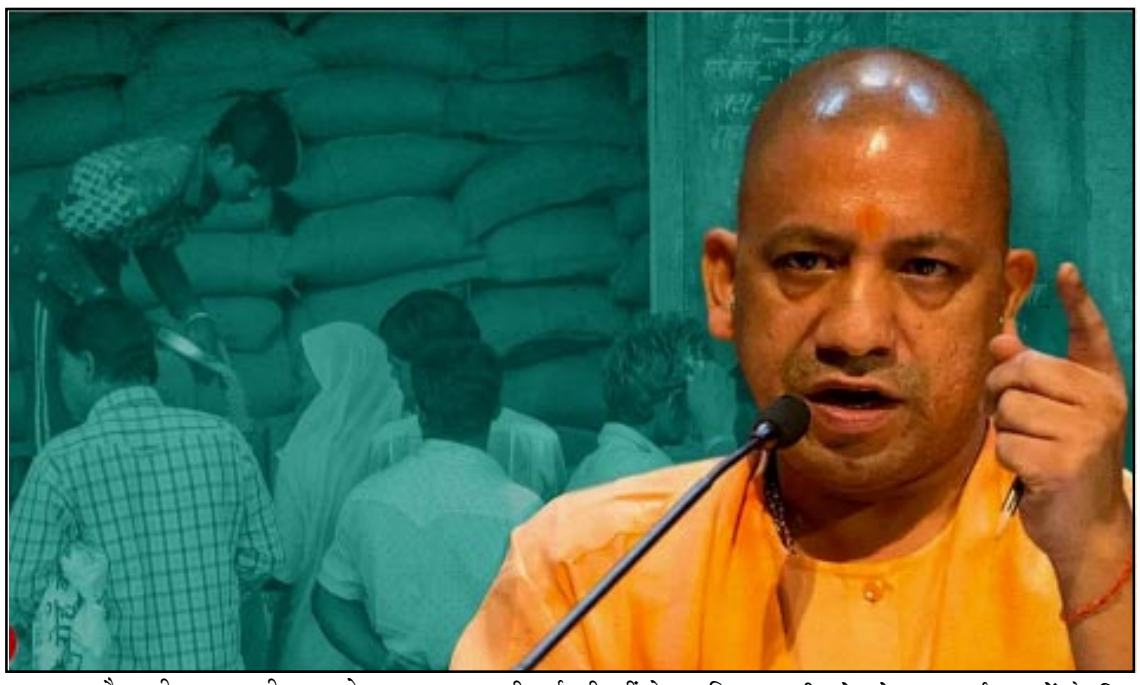

जा सकता है। यूपी सरकार की तरफ से जारी एक नोटिस में वायरल खबरों का खंडन किया गया

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गयी है अत: रिकवरी के सम्बन्ध में प्रसारित की जा रही खबरें पूर्णतया: भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खण्डन किया जाता है।

अपात्र राशन कार्डधारियों के लिए क्या थे सरकार के दिशा-निर्देश ?

यूपी सरकार ने जिन लोगों को राशन कार्ड के लिए अपात्र माना था उनके लिए निम्न दिशा-निर्देश जारी किए थे-

1. व्यक्ति या परिवार के पास चार पहिया वाहन, जिसमें कार से लेकर ट्रैक्टर तक को भी शामिल किया गया है।

2. ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

3. सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

4. आयकर के दायरे में आने वाले भी राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।

5. पक्का मकान और जिनके घरों में बिजली का बिल आता है, उन्हें भी अपात्र माना गया है।

6. शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।

7. हथियार का लाइसेंस रखने वाले भी राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।

8. ऐसे परिवार जिनके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई आजीविका साधन है, वे भी अपात्र होंगे।

9. मुर्गी पालन, गौ पालन आदि करने वाले भी योजना के दायरे में नहीं आएंगे।

पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उठाए थे सवाल

इस बीच राशनकार्ड की पात्रता से सम्बंधित न्यूज़ पेपर की कटिंग को शेयर करते हुए पीलीभीत सांसद ने योगी सरकार की ओर से राशनकार्ड धारकों के लिए तय की गई पात्रता को लेकर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि "जनसामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर 'चुनाव' देख कर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी। चुनाव खत्म होते ही राशनकार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी ? शायद अगले चुनावों में.. !"

सवाल और भी हैं..

सरकार का यह स्पष्टीकरण लगभग एक सप्ताह बाद सामने आया है। यदि यह मान लें कि कभी-कभार सरकार के साथ भी किंवदंती हो जाती है फिर भी कुछ सवाल हैं। पहला ये कि यदि यूपी सरकार ने राशनकार्ड धारकों के लिए सख्त नियमावली तैयार नहीं की तब यह खबर मीडिया में फैली कैसे ? यदि यह मान भी लिया जाए कि मीडिया संस्थानों ने प्रमाणिकता के बिना खबर चलाई तो सरकार को खबर का खंडन करने में एक सप्ताह का समय क्यों लगा ? क्या ऐसा नहीं है कि सरकार ने राशनकार्ड धारकों के लिए सख्त नियमावली बनाई लेकिन जब देखा चारों ओर किरकरी हो रही है तो इसे अपनी 'फैक्ट चेक मंडली' के द्वारा फैक्ट चैक करार देकर भ्रामक दावा साबित कर डाला।

अब सवाल उठता है कि क्या राशनकार्ड धारकों के लिए मीडिया रिपोर्ट में जो मानक बताए गए वो ग़लत हैं ? यदि मीडिया ने ग़लत बताया तो क्या बिना सरकारी आदेश के आह भरने वाले डीएम की इतनी हैसियत कि बिना राज्य सरकार के आदेश दिए अपनी तरफ से चेतावनी या नोटिस जारी करें। 14 मई 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बांदा के जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने जनपद में सवा तीन लाख राशन कार्ड धारकों में जो गरीब बन कर राशन ले रहे हैं, उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि

"सुविधा संपन्न होने के बावजूद राशन ले रहे कार्ड धारकों को चिन्हित किया जा रहा है। सात दिन के अंदर राशन कार्ड समर्पित नहीं किया तो उनसे बाजार रेट के अनुसार वसूली की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।" यह आदेश केवल बांदा डीएम ने ही नहीं दिया बल्कि जालौन जिलाधिकारी की तरफ से भी राशनकार्ड वापस करने की चेतावनी दी गई।

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि, मृतक एवं विस्थापित कार्डधारक, परिवारीजन राशन कार्ड, यूनिटों को समर्पित या निरस्त एक सप्ताह के भीतर करा लें, अन्यथा की स्थिति में जांच में अपात्र पाए जाने की दशा में सम्बन्धित कार्ड धारक, परिवार से 24 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं एवं 32 रुपए प्रति किलो की दर से चावल की वसूली की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश को देखते हुए 1923 अपात्र लोगों ने राशनकार्ड सरेंडर किए हैं।

अडानी और अंबुजा सीमेंट्स की टैक्स फ्री हुई 82 हजार करोड़ रुपये की डील

गिरीश मालवीय

अडानी-होल्सिम सीमेंट (अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी) सौदे में कल एक कमाल की बात सामने आई है कि इस 82 हज़ार करोड़ के सौदे में सरकार को कोई टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा ?

कम से कम होल्सिम का तो यही कहना है। कल होल्सिम के सीईओ जान जेनिश ने अडानी के साथ सौदे के बाद निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा, "हमारे विश्लेषण के अनुसार यह एक टैक्स फ्री लेन-देन है।" सौदे पर लागू किसी टैक्स के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, "कोई जटिलता पैदा होगी, ऐसा नहीं लगता। हम मानते हैं कि हमें 6.4 अरब स्विस फ्रैंक शुद्ध आय के रूप में मिलेंगे।"

यानि अंबुजा सीमेंट और एसीसी में अपनी हिस्सेदारी अडानी समूह को बेचने के 6.4 अरब डॉलर के सौदे में स्विट्जरलैंड का होल्सिम समूह किसी भी नुकसान या कर के लिए उत्तरदायी नहीं है

आप यदि देश में कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी सी चीज खरीदते बेचते हैं तो आपको सरकार को कर के रूप में एक राशि चुकाना पड़ती है चाहे वह बिस्कुट का पैकेट हो या कोई बड़ा मकान या शेयर्स की खरीदी बिक्री सब पर टैक्स लगता है। लेकिन यहां कुल 82 हज़ार करोड़ का सौदा हो रहा है। बेचने वाले ने टैक्स के बारे में पूछे जाने पर साफ़ इनकार कर दिया है कि हम तो कोई कर नहीं दे रहे यानि दूसरे शब्दों में खरीदने वाला जाने।

वो तो शुक्र मनाइए कि विदेश में इतनी स्वतंत्रता है कि होल्सिम के सीईओ से पत्रकारों ने पूछ भी लिया। यहां के पत्रकार तो ऐसे घुन्ने बने बैठे हैं कि न कोई मोदी सरकार से और न कोई अडानी से ही यह पूछ रहा है कि इस सौदे में सरकार को टैक्स के रूप कितनी रकम मिल रही है ?

जब 2018 में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट में 1600 करोड़ डॉलर (1 लाख करोड़ रु. से ज्यादा) में डील हुई थी तो फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदने में अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने भारत सरकार को 7,439 करोड़ रुपये का टैक्स दिया था, कर अधिकारियों ने उस वक्त कहा था कि वॉलमार्ट को अभी भी टैक्स देना है। यह बहुत कम रकम है।

यहां भी 82 हज़ार करोड़ की डील है अडानी तो नहीं बता रहे तो सरकार ही बताए कि उसे इस डील में कितनी रकम टैक्स के रूप में मिलने वाली है ?

लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ है एक और मजे की बात सुनिए। कल होल्सिम के सीईओ जान जेनिश ने इस लेन-देन को लेकर एक महत्वपूर्ण बात और बताई कि बिक्री के बाद अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी पर सीसीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने के लिए नया मालिक जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा, "हमने कंपनी बेच दी है। हमारी तरफ से कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी।"

दरअसल 2016 में प्रतिस्पर्धा आयोग ने कुल 11 सीमेंट कंपनियों पर 6, 300 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था 6,300 करोड़ रुपये के जुर्माने में से अंबुजा सीमेंट्स पर 1,164 करोड़ रुपये और एसीसी पर 1,148 करोड़ रुपये बकाया हैं। दोनों कंपनियों ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जुर्माने को चुनौती दी थी। फिलहाल यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

यानि अब इससे भी होल्सिम इनकार कर रहा है कि हम तो कोई पुराना जुर्माना नही देंगे नया मालिक जाने ? और आप तो जानते ही हैं कि अडानी मोदी के कितने खासमखास हैं तो बिल्ली के गले घंटी कौन बांधेगा ?